



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
Kendriya Vidyalaya Sangathan
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Headquarters, New Delhi
Website: <https://kvs.gov.in>
Email: adtl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-18,

Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

F.11-Adm1072/21/2021-Admn-I कम्प्यूटर संख्या- 13399

Date: 13.10.2026

2017-29

कार्यालय आदेश

विषय: चेंडीपाड़ा में अस्थायी भवन में केन्द्रीय विद्यालय एम.सी.एल सुभद्रा क्षेत्र को संचालित किए जाने के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के फलस्वरूप, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय विद्यालय एमसीएल सुभद्रा क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से चेंडीपाड़ा में प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रारंभिक रूप से, स्थायी विद्यालय भवन की उपलब्धता होने तक, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपयुक्त अस्थायी भवन में विद्यालय का संचालन किया जाएगा।

अस्थायी भवन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त भवन में विद्यालय के सुचारु संचालन हेतु पर्याप्त स्थान एवं सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

प्रायोजक प्राधिकरण के रूप में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अस्थायी भवन/परिसर का रखरखाव सुनिश्चित करे तथा विद्यालय के अस्थायी भवन में संचालित रहने की अवधि के दौरान आवश्यक मरम्मत, देखरेख एवं अन्य सभी अनिवार्य सुविधाएँ अपने व्यय पर उपलब्ध कराए। इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आएगा।

अस्थायी भवन की व्यवस्था एक अंतरिम व्यवस्था मानी जाएगी तथा यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा चेंडीपाड़ा में स्थायी विद्यालय भवन उपलब्ध कराकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता।

उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर इस कार्यालय आदेश के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाई करेंगे। वे प्रायोजक प्राधिकरण, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL), के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चेंडीपाड़ा में केन्द्रीय विद्यालय तत्काल प्रभाव से संचालित करना सुनिश्चित करेंगे।

(दीपेश गहलोत)

अपर आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
2. अपर आयुक्त (शैक्षिक)।
3. संयुक्त आयुक्त (वित्त/ शैक्षिक /कार्मिक/प्रशासन/प्रशिक्षण) ।
4. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एवं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
5. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा — आपके पत्र संख्या 15029/2026-KVS(RO) BBSR/31183 दिनांक 07.10.2026 के संदर्भ में, आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. महाप्रबंधक, सुभद्रा क्षेत्र, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) — सूचनार्थ।
8. सहायक आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सहायक आयुक्त (स्थापना-I/II/III), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय एम.सी.एल सुभद्रा क्षेत्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. अध्यक्ष/महासचिव, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ।
12. गार्ड फाइल।
